

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

शुद्धि पत्र

सं० सं०-2/आर-30/2026- /स्वा०, पटना, दिनांक / /2026

स्वास्थ्य विभागीय आदेश संख्या-987(2) दिनांक-13.05.2026 की कंडिका-(i) में वर्णित "दिनांक-05.03.2025 से 04.03.2025 तक" के स्थान पर "दिनांक-05.03.2022 से 04.03.2025 तक" पढ़ा जाय।

2. विभागीय पत्रांक-987(2) दिनांक-13.05.2026 के शेष तथ्य यथावत रहेंगे।

अनुलग्नक-विभागीय पत्रांक-987(2) दिनांक-13.05.2026

ह०/-  
(राजीव रंजन)  
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-2/आर-30/2026- 1867(2) पटना, दिनांक 3/8/2026  
प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग बिहार, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जमुई/अधीक्षक, सदर स्पताल, जमुई/जिला कोषागार पदाधिकारी, जमुई/डा० अंशुल अनुराग, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, जमुई/प्रशाखा-3, 9 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।